

आदेश बइजलास प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 462/2023 (धारा 14 अंतर्गत सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)
यूको बैंक, डी-48, जवाहर नगर, जयपुर।

– प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स हीरो एजेन्सी जरिये प्रोपराईटर श्री जय कुमार सावलानी पुत्र श्री दिलीप सावलानी,
पता:- सीसी-21 शॉपिंग सेन्टर, जवाहर नगर, जयपुर।
2. श्री जय कुमार सावलानी पुत्र श्री दिलीप सावलानी,
3. श्रीमती हेमा सावलानी पत्नी श्री दिलीप सावलानी,
पता:- मकान नं. 4/ब/23, सेक्टर 4, जवाहर नगर, जयपुर।

प्रकरण संख्या 463/2023 (धारा 14 अंतर्गत सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)
यूको बैंक, डी-48, जवाहर नगर, जयपुर।

– प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स हीरो एन्टरप्राइजेज जरिये प्रोपराईटर श्री दिलीप सावलानी पुत्र श्री तीरथदास सावलानी,
पता:- सीसी-21 शॉपिंग सेन्टर, जवाहर नगर, जयपुर।
2. श्री दिलीप सावलानी पुत्र श्री तीरथदास सावलानी प्रोपराईटर मैसर्स हीरो एन्टरप्राइजेज,
श्रीमती हेमा सावलानी पत्नी श्री दिलीप सावलानी प्रोपराईटर मैसर्स हीरो डिजिटल,
पता:- मकान नं. 4/ब/23, सेक्टर 4, जवाहर नगर, जयपुर।



प्रकरण संख्या 464/2023 (धारा 14 अंतर्गत सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)
यूको बैंक, डी-48, जवाहर नगर, जयपुर।

– प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स हीरो डिजिटल जरिये प्रोपराईटर श्रीमती हेमा सावलानी पत्नी श्री दिलीप सावलानी,
पता:- सीसी-21 शॉपिंग सेन्टर, जवाहर नगर, जयपुर।
2. श्रीमती हेमा सावलानी पत्नी श्री दिलीप सावलानी प्रोपराईटर मैसर्स हीरो डिजिटल,
3. श्री दिलीप सावलानी पुत्र श्री तीरथदास सावलानी,
पता:- मकान नं. 4/ब/23, जवाहर नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण/ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002



अमित दाधीच, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से

आदेश

दिनांक 19.06.2023

1. उक्त तीनों प्रकरणों में बंधक संपत्ति एक होने से समेकित आदेश पारित किया जा रहा है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती हेमा सावलानी के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नं. 4/ब/23, जवाहर नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 267 वर्गगज को बंधक कर दिनांक 08.03.2017 को राशि 18,00,000/- रुपये, दिनांक 26.05.2017 को राशि 18,00,000/- रुपये, दिनांक 27.04.2017 को राशि 18,00,000/- रुपये कुल राशि 54,00,000/-रुपये की राशि का ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को क्रमशः दिनांक 05.11.2022 एवं दिनांक 19.11.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 54,00,000/-रुपये की राशि का ऋण स्वीकृत किया गया, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बंधक रखी गई है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 05.11.2022 को राशि 09,34,468.80/- रुपये, दिनांक 19.11.2022 को राशि 15,20,673.01/- रुपये, राशि 15,37,924.59/- रुपये, कुल राशि 39,93,069.40/- रुपये अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हैं एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती हेमा सावलानी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति मकान नं. 4/ब/23, जवाहर नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 267 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर / पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
- आदेश आज दिनांक 19.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



५५०
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर